// समक्ष माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर कैम्प, भोपाल म.प्र. ::-

पुनरीक्षण क्र0:- निगरानी-0730/2019/होशंगाबाद/भू.रा.

प्रस्तुत दिनांक:- 13/06/2019

पुनरीक्षणकर्तागण :- राकेश कुमार जायसवाल, आ. स्व श्री ओमप्रकाश जायसवाल, आयु लगभग-47साल, व्यवसाय-विधि वकालत, निवासी- वार्डनम्बर-13, मकाननम्बर-13, शारदगली, पोस्टऑफिस के पास, सिवनी-मालवा, तहसील-सिवनी मलवा, जिला होशंगाबाद।

पुनरीक्षणकर्ता राकेश कुमार जायसवाल आ. स्व० ओमप्रकाश जायसवाल निवासी सिवनीमालवा जिला-होशंगाबाद द्वारा प्रस्तुत।
13/06/19
A.S.

बनाम

उत्तरवादीगण:-(1)-जयश्री जायसवाल पत्नि स्व. श्री ओमप्रकाश जायसवाल,

(2)-दीपाली जायसवाल आत्मजस्व. श्री ओमप्रकाश जायसवाल,

(3)-सचिन जायसवाल आत्मज स्व. श्री ओमप्रकाश जायसवाल,

-तीनों निवासीगण-वार्डनम्बर-13, पोस्टऑफिस के पास, सिवनी-मालवा, तहसील-सिवनी-मालवा, जिला होशंगाबाद(म.प्र.)।

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा- 50, म.प्र. भू. रा. संहिता-1959.

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निवेदन है कि :------

(1)- यह कि, पुनरीक्षणकर्ता के व्दारा यह पुनरीक्षण याचिका श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. के समक्ष माननीय आयुक्तमहोदय, होशंगाबाद, के अपील राजस्व प्रकरण क्र0- 0046 आदेश दिनांक-28.5.2019.से दुखित होकर पुनरीक्षण पेश किया जा रहा है।

-=:प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य:=-

(1)- यह कि, उत्तरवदी एवं पुनरीक्षणकर्ता की संयुक्त कृषि भूमि ग्राम- बराखड़कलाँ, में स्थित हैं, जिसका वर्तमान खसरानम्बर- 70 रकबा- 13.31एकड़, ग्राम- बराखड़कलाँ, पहले-वर्तमान-45, हैं, जिसमें संयुक्तरूप में 4 कृषि भूमि स्वामियों के नाम दर्ज हैं, जिसमें एक नाम पुनरीक्षणकर्ता का भी है, अतः पुनरीक्षणकर्ता का 1/4 हिस्सा उक्त कृषि भूमि में कानूनन रूप से हक है। इस कृषि भूमि 2003. का खसरानम्बर-- 76/1 था, इस 76/1 के खसरे का हवाला

13/06/2019

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-6-2019	आवेदक की ओर से श्री एस.भू. शाह, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर आयुक्त के द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी का प्रावधान समाप्त होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हो । अध्यक्ष	